M P AGRO

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305

पोषण आहार संयंत्र बाडी जिला रायसेन में

नमक, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला प्रदाय करने हेतु

ओपन एण्डेड रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर डॉक्यूमेंट (आर.सी.ओ.)

वर्ष 2011–2012

महाप्रबंधक (आरटीई)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagro_bpl@airtelmail.in

क्रमांक / मुख्या / आरटीई / 11–12 / 9847 दिनांक 14.03.2011

वर्ष 2011–12 हेतु विभिन्न सामग्रियों के क्रय हेतु ओपन एंडेड निविदा सूचना

निम्नलिखित कच्चे माल एवं पैकिंग सामग्रियों के उल्लेखित स्थानों पर प्रदाय हेतु उत्पादक / थोक व्यापारियों से ओपन एंडेड प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में पंजीयन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है :–

क्र	सामग्री का नाम	सामग्री का प्रकार	पात्र आफरकर्ता	संकल्प धन राशि	स्थान
1	शक्कर	एस 30–31 IS:5982-2003 के अनुरूप	उत्पादक / थोक व्यापारी	20,000	बाडी (रायसेन)
2	देशी चना, चना दाल, मूँग दाल, मक्का	FAQ	उत्पादक / थोक व्यापारी	10,000	बाडी (रायसेन)
3	एच.डी.पी.ई. बैग	IS:12100-1987 के अनुरूप	उत्पादक	20,000	बाडी, मंडीदीप, इंदौर
4	मसाला (आयोडीनयुक्त नमक, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला)	एगमार्क	उत्पादक / थोक व्यापारी	10,000	बाडी, मंडीदीप, इंदौर
5	फ्लेवर	प्रपत्र में दर्शाये अनुसार	उत्पादक	25,000	बाडी, मंडीदीप, इंदौर
6	दूध पाउडर	IS:1165-2005 के अनुरूप	उत्पादक / थोक व्यापारी	20,000	बाडी, मंडीदीप, इंदौर
7	विटामिन एवं मिनरल प्रिमिक्स	प्रपत्र में दर्शाये अनुसार	उत्पादक	25,000	बाडी, मंडीदीप, इंदौर
8	लेमिनेटेड फिल्म	प्रपत्र में दर्शाये अनुसार	उत्पादक	25,000	बाडी, मंडीदीप, इंदौर
9	सोयाफलोर एवं सोयाग्रिट	IS:7836-1975 के अनुरूप	उत्पादक	20,000	बाडी, मंडीदीप, इंदौर
10	रिफाइंड सोया तेल	IS:4276-1977 के अनुरूप	उत्पादक / थोक व्यापारी	25,000	बाडी, मंडीदीप, इंदौर

निविदा की विस्तृत शर्ते एवं निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से राशि रू 500 / – (रू 550 / – यदि डाक से चाहिए) जमा कर दिनांक 30.03.2011 को अरान्ह 1 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है । निविदा प्रपत्र निगम की बेवसाईट ूण्उचेजंजमंहतवण्दपबण्पद से भी डाउन लोड किया जा सकता है । सील बंद निविदा प्रपत्र इसी दिन अपरान्ह 2 बजे तक संकल्प धन राशि के साथ स्वीकार किये जायेगें जिन्हें अपरान्ह 3 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोला जाएगा । ओपन एंडेड प्रकिया की जानकारी इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है । निगम के प्रबंध संचालक को किसी भी प्रस्ताव को बिना कारण बताये पूर्णतः / अंशतः स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार होगा ।

महाप्रबंधक (आरटीई)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagro_bpl@airtelmail.in

निगम के पोषण आहार संयंत्र बाडी जिला रायसेन में नमक, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला प्रदाय करने हेतु निविदा प्रपत्र

आफर दस्तावेज का मूल्य राशि रू. 500/– (रू पांच सौ मात्र)

मेसर्स .... से निविदा प्रपत्र के मूल्य हेतु राशि रूपये 500/– (रू पॉच सौ मात्र) मनी रसीद क्रमांक .... दिनांक ....से प्राप्त किये गये ।

निविदा पत्र प्राप्त करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 30.03.2011 अपरान्ह 1.00 बजे तक
पूर्ण निविदा पत्र टेण्डर बाक्स में प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 30.03.2011 अपरान्ह 2.00 बजे तक
निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा खोलने की तिथि	दि 30.03.2011 अपरान्ह 3 बजे

महाप्रबधंक (आरटीई)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagro_bpl@airtelmail.in

निगम के पोषण आहार संयंत्र बाडी जिला रायसेन में नमक, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला प्रदाय करने हेतु निविदा प्रपत्र

संयंत्र द्वारा लगभग 250 मी. टन प्रतिमाह पूरक पोषण आहार (खिचडी) का उत्पादन किया जायेगा पूरक पोषण आहार में 3 प्रतिशत मसाले का मिश्रण किया जायेगा, जिसमें निम्नानुसार घटक रहेगें :–

क	सामग्री का नाम
1	नमक (आयोडीन युक्त)
2	हल्दी पाउडर (एग मार्क)
3	मिर्च पाउडर (एग मार्क)
4	गरम मसाला पाउडर (एग मार्क)अनुसूची कं. 4 अनुसार

<u>मसाला मिश्रण</u>

क	सामग्री का नाम	कम्पोजिशन प्रतिशत	मसाला मिश्रण पैकिंग नेट वजन
1	नमक (आयोडीन युक्त)	80 प्रतिशत	25 किलो पैकिंग
2	हल्दी पाउडर	9 प्रतिशत	
3	मिर्च पाउडर	8 प्रतिशत	
4	गरम मसाला पाउडर	3 प्रतिशत	

1. आफर प्रस्तुत करने की आहर्ता

ऑफरकर्ता जो निम्नानुसार शर्ते पूरी करता हो :–

1.1 प्रदायक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित सामग्री में नमक आयोडीन युक्त एवं शेष सामग्री (एग मार्का) प्रदाय करनी होगी ।

1.2 आफरकर्ता के आयकर नम्बर (PAN) एवं विक्रय कर विभाग द्वारा जारी टिन (TIN) की स्वप्रमाणित प्रति ।

1.3 आफरकर्ता द्वारा जिन सामग्रियों की दरें प्रस्तुत की जावेगी उनके 3–3 सेम्पल भी (वर्तमान में प्रदाय की जा रही सामग्री की पैकिंग में) प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य है । सेम्पल के अभाव में दरों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

2. आरसीओ का कय

2.1 (अ) निर्धारित आरसीओ दस्तावेज का मूल्य रू. 500.00 (वापसी योग्य नही) एवं डाक से मंगाये जाने पर 550.00 रूपये होगा । डाक में किसी प्रकार के विलंब की स्थिति में निगम उत्तरदायी नहीं रहेगा ।

(ब) उक्त कार्यालय के महाप्रबन्धक (आरटीई) मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम से दिनांक 30.03.2011 अपरान्ह 1.00 बजे तक कय किये जा सकते है । इस अवधि के पश्चात बिन्दु कमांक 2 में उल्लेखानुसार भी आरसीओ दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत किये जा सकते है ।

(स) आरसीओ में भाग लेने वाले आफरकर्ताओं को निर्धारित आरसीओ कय किया जाना अनिवार्य है । विधिवत रूप से आरसीओ समय पर प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में आफर पर विचार नही किया जावेगा ।

2.2 आरसीओ ओपन एंडेड डाक्यूमेंट है तथा दिनांक 30.12.2011 तक कोई भी आफरकर्ता अपनी दरें पृष्ठ क्र. 2 पर उल्लेखित समय सीमा के पश्चात भी प्रस्तुत कर सकते है, इसके लिये आफरकर्ता को निम्न कार्यवाहियां करना होगी :–

i. निगम के प्रबंध संचालक को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें आफरकर्ता को उपरोक्त क्र 1 में उल्लेखित आहर्ता संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे।

ii. आवेदन के साथ आरसीओ डाक्यूमेंट का मूल्य रू 500.00 (डाक से मंगाने की दशा में रू 550.00) भी देय होगा ।

iii. आरसीओ डाक्युमेंट मूल्य के अतिरिक्त रू 10,000.00 (रू दस हजार मात्र) विशेष पंजीयन शुल्क (संकल्प धन राशि के अतिरिक्त) निगम के पक्ष में भोपाल देय राष्ट्रीकृत बैक के बैंक ड्राफ्ट से देय होगें यह राशि किसी भी रूप में वापसी योग्य नही होगी ।

iv. निगम के प्रबंध संचालक प्राप्त दस्तावेजों का परीक्षण करा कर प्राप्त आफर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेंगे। अस्वीकृति की दशा में उसके कारणों को संबंधित आफरकर्ता को बताया जाना आवश्यक नहीं होगा ।

विशेष पंजीयन शुल्क के अन्तर्गत अनुमोदित आफरकर्ता शर्त क्रमांक 10 के अनुसार अनुबंध निष्पादित करेगे । आफर सामान्य प्रक्रिया में लाते हुये इस आरसीओ प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्तो को मान्य करना होगा तथा संलग्न प्रारूप में अनुबंध भी करना होगा ।

3. <u>दर प्रस्तुत करना</u> :–

3.1 दर अनुसूची क्रमांक 2 में प्रस्तुत की जाए । अनुसूची में दिये गये समस्त 4 घटकों की अलग–अलग एवं मिश्रण की एकजाई दर दी जाना है (दरें समस्त कर सहित एचओआर बाडी संयंत्र रहेगी) । प्रस्तुत की गई दरें निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक से 90 दिवस के लिये प्रभावशील रहेगी अर्थात इस अवधि में निगम द्वारा प्रस्तुत दर स्वीकार की जा सकेगी । यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा दरें प्रस्तुत करने के पश्चात उक्त अवधि में अपनी दरें वापस ली जाती है या प्रदाय से मना किया जाता है तो निविदा के साथ प्रस्तुत संकल्प धन राशि जप्त कर ली जायेगी ।

3.2 प्रस्तुत दर प्रस्ताव में अंकों एवं शब्दों में अंतर होने की दशा में शब्दों में अंकित दर को मान्य किया जायेगा ।

3.3 निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा, चाहे ऐसी निविदायें डाक विभाग के कारण देरी से प्राप्त हुई हो ।

3.4 निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत निविदाओ को ही विचार क्षेत्र में लिया जायेगा।

3.5 चयनित आफरकर्ता को अनुसूची 5 में दिये गये प्रपत्र में स्वयं के व्यय पर अनुबंध निष्पादित करना होगा ।

3.6 निगम द्वारा चयन की सूचना दिये जाने के 3 दिवस में अनुबंध निष्पादित करना होगा ।

4. <u>आफर प्रस्तुत करने की प्रकिया</u>

(अ) एक आफरकर्ता से एक ही आफर स्वीकार किया जावेगा । एक ही आफरकर्ता द्वारा निगम में एक से अधिक फर्मो की ओर से एक ही अथवा अन्य नामो से भाग लिये जाने की जानकारी निगम को प्राप्त होने की दशा में आफरकर्ता द्वारा इस तरह प्रस्तुत सभी आफर अमान्य किये जायेंगे ।

(ब) टेलीग्राफ/फैक्स से प्रस्तुत ऑफर मान्य नहीं किये जावेंगे ।

(स) निर्धारित प्रारूप अनुसूची क्रमांक 2 के अनुसार दरें प्रस्तुत की जावें ।

(द) आरसीओ सभी प्रकार से पूरा भरा हुआ होना चाहिए । आरसीओ से साथ संकल्प धन राशि के रूप में राशि रूपये 10,000/— (मात्र दस हजार रूपये केवल) का बैंक ड्राफ्ट जो एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से भोपाल देय हो संलग्न होना आवश्यक है । धरोहर राशि के आभाव में कोई भी आफर किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जावेगा ।

(इ) प्रस्तुत किये जाने वाले वाले दस्तावेजो का विवरण —

1. प्रपत्र क्रमांक—1 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रूपये 100.00 के स्टाम्प पेपर पर सहमति ।
2. ऑफरकर्ता का वाणिज्य कर, टिन का विवरण ।
3. ऑफरकर्ता फर्म की और से आफर/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हेतु अन्य को दिये गये अधिकार पत्र की मूलप्रति ।
4. रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर डाक्युमेंट सभी पृष्ठों पर सील एवं हस्ताक्षर सहित ।
5. संकल्प धन राशि रूपये 10,000/— का ड्राफ्ट ।
6. ऑफरकर्ता फर्म का नाम किसी भी शासकीय विभाग निगम मंडल एवं किसी बैक द्वारा कालीसूची में दर्ज नही है और न ही किसी प्रकार का कानूनी विवाद है, इस आशय का घोषणा पत्र ।
7. सीलबंद लिफाफे पर **मसाला प्रदाय हेतु ऑफर** अंकित किया जाए एवं निर्धारित बॉक्स में नियत तिथि दिनांक 30.03.11 तक एवं नियत समय में मुख्यालय के आरटीई कक्ष में रखे टेण्डर बॉक्स में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।

5. <u>आफर का खोला जाना</u>

आफरकर्ताओं द्वारा निर्धारित आफर बाक्स में दिनांक 30.03.2011 अपरान्ह 2.00 बजे तक जो आरसीओ प्राप्त होंगे, में से प्राप्त लिफाफे दिनांक 30.03.2011 को अपरान्ह 3.00 बजे गठित समिति द्वारा उपस्थित आफरकर्ताओं अथवा उनके मनोनीत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेंगे ।

6. <u>सैंपल प्रस्तुत करने की प्रकिया :</u>

आफरकर्ता द्वारा हल्दी, मिर्च, गरम मसाला(पावडर फार्म में) एवं आयोडाइज्ड नमक के अलग—अलग सेंपल एवं उल्लेखित सामग्रियों के मिश्रण के सेंपल के साथ दरें प्रस्तुत की जायेंगी । जमा किये गये सेम्पल वापस नहीं किये जायेगें।

7. **सशर्त आफर –**

निगम द्वारा निविदा पत्र में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नही की जावेगी । सशर्त आफरो को अमान्य किया जावेगा ।

8. **संकल्प धन राशि–**

आफरकर्ता को आफर के साथ संकल्प धन राशि के रूप में रू. 10,000/– का बैंक ड्राफ्ट जो एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से भोपाल देय होगा, प्रस्तुत करना आवश्यक है । संकल्प धन राशि के अभाव में प्रस्तुत आफर अमान्य किया जायेगा ।

संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :–

1. निगम द्वारा ऑफरकर्ता के ऑफर को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपना ऑफर वापस लिये जाने की दशा में।
2. ऑफर के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
3. ऑफरकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छबि को हानि पहुंचे।

9. **ऑफर की वैधता :**

प्राप्त ऑफर खोले जाने की तिथि से 90 दिवस तक मान्यता हेतु वैध रहेंगे । अंतिम निर्णय न होने की दशा में इस तिथि के पश्चात भी निगम प्राप्त दरों पर आवश्यक निर्णय ले सकेगा यदि आफरकर्ता ने प्रस्तुत दरों को अमान्य करने हेतु लिखित में निगम को सूचित नहीं किया है ।

10. **अनुबंध का निष्पादन–**

(अ) आफरकर्ता जिसका आफर निगम द्वारा मान्य किया जावेगा, को निगम के साथ निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट क्र. 5) अनुसार राशि रूपये 100/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा ।

(ब) निगम द्वारा जिन आफरकर्ताओं के ऑफर को मान्य किया जावेगा, को अनुबंध निष्पादित करने हेतु विधिवत सूचना दी जावेगी । यदि ऑफरकर्ता द्वारा निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में निगम के साथ अनुबंध निष्पादित नहीं किया जाता है तो निगम उनके ऑफर को अमान्य करते हुए जमा संकल्प धन राशि को जप्त (Forfite) करने के लिए स्वतंत्र रहेगा ।

(स) अनुबंध 31 मार्च 2012 तक अथवा निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक जो भी बाद मे हो तक वैध रहेगा ।

11. **धरोहर राशि :**

(अ) ऑफरकर्ता द्वारा संकल्प धन राशि के रूप में जमा की गयी राशि रूपये 10,000/– ऑफरकर्ता के अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पश्चात् धरोहर राशि के रूप में निगम के पास अनुबंध की प्रभावशीलता लागू होने तक जमा रहेगी ।

(ब) अनुबंध की प्रभावशीलता अवधि में कोई विवाद न होनें की दशा में प्रदायक द्वारा लिखित में मांगे जाने पर धरोहर राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी ।

(स) धरोहर राशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :–

(1) निगम आदेश के विरूद्ध निर्धारित समय सीमा में आदेशित सामग्री प्रदाय न किये जाना ।

(2) प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मांपदण्डों के अनुरूप न होनें की दशा में ।

(3) प्रदायक द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही करनें पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे/निगम को कोई व्यवसायिक हानि हो ।

12. सेम्पल एवं निरीक्षण –

निगम को, प्रदायित सामग्री एग मार्का एवं निर्धारित गुणवत्ता की होनी चाहिए । आवश्यकता पड़ने पर निगम प्रदाय के व्यय पर सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण करा सकेगा ।

13. पैकिंग

पैकिंग निगम के संयुक्त उपक्रमों द्वारा चाहे अनुसार होना आवश्यक है । बाड़ी संयंत्र के लिए 25 किलो की पैकिंग में सामग्री का प्रदाय करना होगा । पैकिंग एवं परिवहन का समस्त व्यय आफरकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा ।

14. प्रदाय हेतु निर्धारित प्रकिया एवं समय सीमा :

(अ) ऑफरकर्ता को बाड़ी संयंत्र के लिए निगम द्वारा आदेश दिए जाएंगे जिसका प्रदाय तीन दिवस के अंदर करना होगा । निगम के संयुक्त उपकम मान्य दर पर कय करने के लिए बाध्य नहीं होंगे ।

(ब) प्रदायक द्वारा यदि प्रदायगी में विलंब किया जाता है एवं विलंब के कारण निगम को हानि होती है तो इस हानि के लिए प्रदायक की जवाबदारी होगी, जिसकी वसूली निगम प्रदायक की सुरक्षा निधि एवं भुगतान हेतु निगम में प्रस्तुत अन्य देयकों से की जावेगी । हानि की राशि का निर्धारण निगम के प्रबंध संचालक द्वारा किया जावेगा जिसे ऑफरकर्ता द्वारा मान्य किया जावेगा ।

15. आदेश की प्रकिया

(अ) निगम द्वारा केवल बाड़ी संयंत्र की मांग के आधार पर आदेश जारी किये जायेंगे । संयुक्त उपकमों के लिए उनके संचालकों से संपर्क कर प्रदायक को आदेश प्राप्त करने होंगे ।

(ब) निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित प्रदायगी की तिथि पर एफ.ओ.आर. (बाड़ी) प्रदायगी करना होगी ।

(स) परिवहन के दौरान सामग्री को आग, चोरी, एक्सीडेंट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से हुए नुकसान की जवाबदारी प्रदायक की रहेगी । इस प्रकार से हुए नुकसान की भरपाई हेतु प्रदायक उत्तरदायी रहेंगे ।

16. भुगतान

1. बाड़ी संयंत्र के प्रदाय में स्वीकृत दर के आधार पर वास्तविक मात्रा के आधार पर भुगतान किया जाएगा ।
2. निगम के प्रभारी, बाड़ी संयंत्र द्वारा प्रमाणीकरण के पश्चात् 15 दिवस में नियमानुसार भुगतान किया जावेगा ।
3. संयुक्त उपकमों की प्रदायगी का भुगतान संबंधित उपकम से किया जाएगा ।

17. आफरकर्ता द्वारा आफर प्रस्तुत किए जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा कि उनके द्वारा आरसीओ को भलीभांति पढ लिया गया है एवं सभी शर्तो पर सहमत होकर उनके द्वारा आफर प्रस्तुत किया गया है ।

18. आरसीओ के तहत निर्धारित शर्तो के उल्लंघन किए जाने अथवा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी /दस्तावेज दिए जाने की दशा में एवं इस बाबत निगम के प्रबन्ध संचालक आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत/स्वीकृत आफर को निरस्त करते हुए उनके द्वारा जमा की गई संकल्प धन राशि/धरोहर राशि जप्त करने के अधिकारी रहेगे । प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम होकर बंधनकारी होगा ।

19. राज्य शासन की नीति के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आफरकर्ता जिनके द्वारा जिला उद्योग केन्द्र में विशेष पंजीयन से संबंधित सर्टिफिकेट/अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जायेगा एवं जो निविदा शर्तो के अनुरूप योग्य पाये जावेगे, को निर्धारित नीति अनुसार व्यवसाय में न्यूनतम 30 प्रतिशत की भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी ।

20. प्रदायक द्वारा प्रदाय सामग्री से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत के निराकरण के संबंध में प्रदायक स्तर से कार्यवाही की जाना होगी।

21. प्रदायक एवं निगम के बीच यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रकरण निगम के महाप्रबंधक (आरटीई) को प्रस्तुत किया जावेगा, उनके निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबन्ध संचालक को आरबीट्रेटर के रूप में प्रस्तुत किया जावेगा । आरबीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण भोपाल जिले के लिये सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

22. निगम के प्रबन्ध संचालक आरसीओ की किसी भी शर्त में आंशिक/पूर्ण परिवर्तन/ संशोधन/निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगे ।

महाप्रबन्धक(आरटीई)

प्रपत्र क्रमांक–1

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

वर्ष 2011–12 के लिये निगम के माध्यम से नमक आयोडीनयुक्त एवं हल्दी, मिर्च, गरम मसाला के प्रदाय हेतु आरसीओ बाबत् सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र

मैं ....मेसर्स ....की ओर से जो निगम द्वारा आमंत्रित आरसीओ में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ । निगम के आरसीओ में उल्लेखित शर्तो के अनुसार नमक आयोडीनयुक्त एवं हल्दी, मिर्च, गरम मसाला के प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ ।

एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे ऑफर को मान्य किये जाने की दशा में हम आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तो एवं मापदण्ड अनुसार निर्धारित दरों पर आदेशित सामग्री प्रदाय हेतु सहमत हैं । हम आरसीओ की सभी शर्तो से सहमत हैं एवं तदानुसार प्रदायगी का कार्य करेंगे । यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये गये आदेशों से संबंधित प्रदायगी में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा आरसीओ की शर्तो का उल्लंघन होने से निगम को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि रूपये 10,000/– एवं हमारे देयकों से कर सकता है ।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हमें न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है । इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

संकल्प धन राशि रूपये 10,000/– प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में में धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा आरसीओ की सभी नियम एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं हम तदानुसार सभी शर्तो पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक :

ऑफरकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

गवाह

.... (हस्ताक्षर)

....
नाम एवं पता

नोट : राशि रूपये 100.00 के स्टाम्प पेपर पर मान्य ।

अनुसूची–2

निगम के पोषण आहार संयंत्र बाडी जिला रायसेन में नमक, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला प्रदाय करने हेतु पंजीयन सह निविदा प्रपत्र

दर प्रस्ताव

फर्म का नाम	मेसर्स... ....

क.	कार्य का विवरण	दर समस्त कर सहित एफओआर बाडी संयंत्र **प्रति क्विटल**		रिमार्क
		अंको में	शब्दों में	
1	नमक (आयोडीन युक्त)			
	हल्दी पाउडर			
	मिर्च पाउडर			
	गरम मसाला पाउडर			
2	**मसाला मिश्रण** नमक (आयोडीन युक्त) 80 प्रतिशत हल्दी 9 प्रतिशत मिर्च 8 प्रतिशत गरम मसाला 3 प्रतिशत			

नोट : कमांक 1 में अलग–अलग दर प्रस्तुत की जाना है ।
कमांक 2 में मिश्रण की एकजाई दरें प्रस्तुत की जाना हैं ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....................................

अनुसूची–3

निगम के पोषण आहार संयंत्र बाडी जिला रायसेन में नमक, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला प्रदाय करने हेतु पंजीयन निविदा प्रपत्र

निविदाकर्ता फर्म का विवरण

फर्म का नाम	मेसर्स..
प्रोपराईटर का नाम	
फर्म के पत्र व्यवहार का पूर्ण पता	
दूरभाष कमांक मोबाईल कमांक फेक्स कमांक	
पेन (नम्बर)	
टिन (नम्बर)	
अन्य विवरण	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम...................................

.

<u>गरम मसाला मिश्रण</u>

क्रमॉक	**सामग्री का नाम**	प्रति किलो घटक मात्रा (ग्राम)
1	काली मिर्च	200 ग्राम
2	डोडा बड़ी इलायची	100 ग्राम
3	दालचीनी	100 ग्राम
4	शाहजीरा	50 ग्राम
5	छोटी इलायची	50 ग्राम
6	लौंग	100 ग्राम
7	जायफल	50 ग्राम
8	जावित्री	50 ग्राम
9	खसखस	100 ग्राम
10	सौंफ	100 ग्राम
11	तेजपत्ता	100 ग्राम
	योग	**1000 ग्राम**

अनुसूची–5

:: अनुबंध ::

यह अनुबंध आज दिनांक .... को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है जिसे आगे ''निगम'' कहा जावेगा एवं मेसर्स .... जिन्हें आगे प्रदायक कहा जावेगा, के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में अल्पकालीन निविदा प्रकाशित कर पोषण आहार संयंत्र बाडी जिला रायसेन में पूरक पोषण आहार (खिचडी) में मसाला (नमक, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला एवं मसाला मिश्रण प्रदाय करने हेतु दिनांक 30.03.2011 को ऑफर आमंत्रित किये गये थे । प्रदायक द्वारा निविदा प्रपत्र की सभी शर्तो को मान्य करते हुए निविदा में भाग लिया गया है । निविदा प्रपत्र की समस्त शर्ते अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक .... दिनांक .... से प्रदायक के ऑफर को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत् कार्यवाही की गई है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्ते एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे :–

1. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्ते ।
2. प्रदायक का सहमति पत्र
3. प्रदायक द्वारा प्रस्तुत निविदा व अन्य जानकारियां ।

उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेजों के उल्लेखित नियम व शर्ते अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा ।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

महाप्रबंधक (आरटीई)

गवाह :

1.

2.

प्रदायक

1.

2.

(राशि रू 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित)